रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274786
CG-DL-E-24072026-274786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948
No. 596]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 658(अ).— केंद्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, साधारण ड्यूटी काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 की अनुसूची में, कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 3 के सामने,—

(क) स्तंभ (6) में, टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 3: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी, जो कर्मचारी चयन आयोग या संबंधित नोडल बल द्वारा विज्ञापित की गई हो।";

(ख) स्तंभ (7) में,—

(i) मद (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(iii) अभ्यर्थी को भर्ती विज्ञापन में उल्लिखित कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में अर्हित होना होगा।";

(ii) टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण: भूतपूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।";

(ग) स्तंभ (10) में, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण 1: प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए कुल रिक्तियों का पचास प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।

टिप्पण 2: प्रथम चरण में, भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित पचास प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती संबंधित नोडल बल द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर आयोजित होगी।

टिप्पण 3: द्वितीय चरण में, शेष पचास प्रतिशत रिक्तियों और प्रथम चरण में रिक्त रह गई रिक्तियों पर भर्ती, विद्यमान उपबंधों के आधार पर खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से या गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर आयोजित होगी।

टिप्पण 4: विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए विद्यमान आरक्षण संबंधी प्रावधान दोनों चरणों में लागू होंगे।"।

[फा. सं. I-12022/10/2021- संगठन (खण्ड-III)]

पी.एस. डंगवाल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 25 नवंबर, 2022 को, सा.का.नि. 847(अ), तारीख 25 नवंबर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका संशोधन सा.का.नि. 113(अ), तारीख 20 फरवरी, 2023 और सा.का.नि. 171(अ), तारीख 11 मार्च, 2025 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2026

G.S.R. 658(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, against serial number 3 relating to the post of Constable (General Duty),—

(a) in column (6), after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3: The Crucial date for determination of the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission or the concerned Nodal Force.";

(b) in column (7),—

(i) after item (ii), the following item shall be inserted, namely:-

"(iii) Must qualify Physical Efficiency Test and written examination as prescribed for Constable (General Duty) mentioned in the advertisement for recruitment.";

(ii) for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

"Note : Ex-Agniveers shall be exempted from written examination, Physical Standard Test and Physical Efficiency Test .";

(c) in column (10), for the Note, the following Notes shall be substituted, namely :-

"Note 1: Fifty per cent vacancies shall be reserved for ex-Agniveers for recruitment to the post of Constable (General Duty) in every recruitment year.

Note 2: In the first phase, the recruitment shall be conducted by the Nodal Force for fifty per cent vacancies earmarked for ex-Agniveer or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

Note 3: In the second phase, recruitment will be conducted through open examination as per the existing provisions against the remaining fifty per cent of the vacancies along with the unfilled vacancies of the first phase or as per the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time.

Note 4: The existing provisions of reservation for various categories will be applicable for both phases.".

[F. No. I-12022/10/2021-Org (Vol-III)]

P. S. DANGWAL, Director

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 25th November, 2022 *vide* number G.S.R. 847 (E), dated the 25th November, 2022 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 113(E), dated the 20th February, 2023 and G.S.R. 171 (E), dated the 11th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA